बिहार सरकार
(सामान्य प्रशासन विभाग)
॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक– 5-2-21

संख्या–18/लो0शि0नि0–14–04/2016(खंड–I) 1660 /राज्य सरकार बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं से संबंधित दायर किये जाने वाले परिवादों के निवारणार्थ लोक प्राधिकार तथा विभागों के संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0–7695 दिनांक–30.05.2016 के परिशिष्ट–3(क) के बाद निम्नलिखित परिशिष्ट तुरंत के प्रभाव से जोड़ती है :–

4 (क) यथा संलग्न परिशिष्ट–4(क) के अनुसार कुछ योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं को नई योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं से प्रतिस्थापन, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा ;

4 (ख) यथा संलग्न परिशिष्ट–4 (ख) के अनुसार वैसी योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएं जिनके संबंध में परिवाद नहीं दायर किया जा सकेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5.2.21

(हिमांशु कुमार राय)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 18/लो.शि.नि.–14–04/2016(खंड–I) 1660 **/ पटना, दिनांक–** 5-2-21

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग ई–गजट शाखा को सी0डी0 के दो प्रतियों में बिहार राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु एवं उसकी प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

5.2.21

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 18/लो.शि.नि.–14–04/2016(खंड–I) 1660 **/ पटना, दिनांक–** 5-2-21

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड/राज्य अभिलेखागार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/टी.सी.एस. कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/2/21

सरकार के अपर सचिव

परिशिष्ट–4(क)

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कुछ योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं की सूची जिन्हें नई योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं से प्रतिस्थापित किया गया, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा और उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा

क्र.सं.	अधिसूचित स्थिति			प्रतिस्थापन के पश्चात स्थिति	
	विभाग का नाम	योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा	योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा
1	**वित्त विभाग**	बैंकों से संबंधित मामले	नोडल पदाधिकारी, बैकिंग/अग्रणी जिला प्रबंधक	बैंकों से संबंधित वैसे मामले जो राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में हों	नोडल पदाधिकारी, बैकिंग/अग्रणी जिला प्रबंधक

परिशिष्ट--4(ख)

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत वैसी योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएं जिनके संबंध में परिवाद नहीं दायर किया जा सकेगा

क्र. सं.	विभाग का नाम	वैसी योजनाएँ, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद नहीं दायर किया जा सकेगा	परिवाद दायर नहीं किए जाने वाली सूची में शामिल करने का कारण
1	वित्त विभाग	गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFC) से संबंधित मामले	निवारण के लिए वैकल्पिक फोरम उपलब्ध होने के कारण

Government of Bihar
General Administration Department
Notification

संख्या–18/लो०से०नि०–14–04/2016(खण्ड–I)सा०प्र० 1661 / अधिसूचना संख्या– 1660 / दिनांक– 5-2-21 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
5.2.21
(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के अपर सचिव।

Patna, Dated- 5-2-21

No.-18/Lo.Shi.Ni.-14-04/2016(Part-I) 1661 / In exercise of the powers conferred under Section 4 of the Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015 (Bihar Act 19, 2015), for the purposes of this Act, the State Government further adds the following new Appendix after Appendix-3(a) of notification No.-7695 dated-30-05-2016 related to the Schemes, Programmes and Services with immediate effect -

4 **(a)** as per enclosed Appendix-4(a), some Schemes, Programmes and Services substituted by new Schemes, Programmes and Services on which complaint can be filed and public authority and department on which level the complaint will be redressed;

4 **(b)** as per enclosed Appendix-4(b), some Schemes, Programmes and Services on which complaint cannot be filed.

By the order of the Governor,
5.2.21
(Himanshu Kumar Rai)
Additional Secretary to Government.

Memo No.- 18/Lo.Shi.Ni.-14-04/2016(Part-I) 1661 / Patna, Dated- 5-2-21

Copy:- Forwarded to e-Gazette, Finance Department, Bihar, Patna to publish in extra ordinary edition of Bihar Gazette and to send copies to the department.

5.2.21
Additional Secretary to Government.

Memo No.- 18/Lo.Shi.Ni.-14-04/2016(Part-I) 1661 / Patna, Dated- 5-2-21

Copy :- Forwarded to All Department/All Head of Department/Secretariat of the Governor/Secretariat of the Chief Minister/Resident Commissioner, New Delhi/Director General, BIPARD/Rajya Abhilekhagar, Patna/All Divisional Commissioner/All District Magistrate/Additional Mission Director, Bihar Prashashnik Sudhar Mission Society, Patna/T.C.S. Cell, Finance Department, Patna for information and necessary action.

5.2.21
Additional Secretary to Government.

Appendix4(a)

List of some Schemes,Programme and Services substituted by new Schemes,Programme and Services under Bihar Right to Public Grievance Redressal Act on which complaint can be filed and Public Authority and Department on which level the complaint will be redressed

Sl.no	Notified status			Status after Substitution	
	Name of Department	**Schemes, Programmes and Services on which complainant can be filed**	**Public Authority on which level the complaint will be redressed**	**Schemes, Programmes and Services on which complainant can be filed**	**Public Authority on which level the complaint will be redressed**
1	Finance Department	Matters related to banks	Nodal officer Banking/Lead District Manager	Banks related those matters, which are related to state government schemes.	Nodal officer Banking/Lead District Manager

4.2.21

Appendix-4(b)

List of Schemes,Programme and Services under Bihar Right to Public Grievance Redressal Act on which complaint cannot be filed

Sl. no	Name of Department	Schemes, Programmes and Services on which complainant cannot be filed	Reason for inclusion in the list of Schemes, Programmes and Services on which complainant cannot be filed
1	Finance Department	Matters related to Non-Banking Financial Companies (NBFC)	Due to alternative forums being available for redressal

4.2.21